रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117] नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2015/वैशाख 16, 1937
No. 117] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2015/VAISAKHA 16, 1937

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 5 मई, 2015

डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व एवं प्रचालन (डीबीएफओओ) आधार पर स्थापित ताप विद्युत स्टेशनों से विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन

सं. 23/09/2014-आर एंड आर.—भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग I-खण्ड 1) में 09.11.2013 को प्रकाशित संकल्प संख्या 23/17/2011-आर एंड आर (वॉल्यूम-V) के तहत विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के उपबंधों के अंतर्गत डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व एवं प्रचालन (डीबीएफओओ) आधार पर स्थापित ताप विद्युत स्टेशनों से विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए संशोधित दिशा-निर्देश अधिसूचित किए गए हैं।

जबकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोयला ब्लॉक की नीलामी के लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच सकें, इन दिशा-निर्देशों को दिनांक 16 अप्रैल, 2015 के गजट संकल्प सं. 23/09/2015-आर एंड आर के तहत पहले ही संशोधित किया जा चुका है।

इन नवंबर, 2013 के दिशा-निर्देशों में इसके अतिरिक्त, एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, अर्थात्:-

बिन्दु सं. 2 का पैरा *"इन दिशा-निर्देशों का लागू किया जाना लगभग 25 वर्ष की अवधि, जिसमें किसी भी पक्ष के विकल्प पर 5 वर्ष की अवधि बढ़ाने के प्रावधान सहित निर्माण अवधि शामिल है, के लिए हस्ताक्षर किए गए विद्युत आपूर्ति करारों के अनुसार निर्मित एवं प्रचालित परियोजनाओं तक ही सीमित होगा।"*

इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"2. इन दिशा-निर्देशों को लागू किया जाना, विद्युत की आपूर्ति शुरू होने की तिथि से 7 वर्ष और उससे अधिक 25 वर्ष तक की अवधि के लिए विद्युत की आपूर्ति हेतु डीबीएफओओ आधार पर निर्मित एवं प्रचालित परियोजनाओं तक ही सीमित होगा, जिसमें विद्युत क्रय करार के अनुरूप किसी भी पक्षकार के विकल्प पर इस अवधि को 5 वर्ष तक आगे बढ़ाने का प्रावधान शामिल है।"

बिन्दु सं. 4 का पैरा *"मानक बोली दस्तावेजों से कोई विचलन केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा। बशर्ते यह कि मानक बोली दस्तावेजों में अभिव्यक्त रूप से अनुमति दिए गए किसी परियोजना विशेष संशोधनों का अर्थ मानक बोली दस्तावेजों से विचलन के रूप में नहीं लगाया जाएगा।"*